मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः15.06.2026

थाना जिगना पुलिस द्वारा 10 किलो 264 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांकः 14.06.2026 को थाना जिगना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना जिगना पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना जिगना क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिलगौर तिराहा के पास से मोटर साइकिल सवार अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र श्रीजीत सिंह निवासी ग्राम गौरा थाना जिगना जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बोरा में रखा 10 किलो 264 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जिगना पर मु0अ0सं0-142/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल वाहन संख्याUP 63 AM 6951 को 207 एमवी एक्ट में सीज करने की कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

कुलदीप सिंह पुत्र श्रीजीत सिंह निवासी ग्राम गौरा थाना जिगना जनपद मीरजापुर, उम्र 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-142/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

वरामदगी विवरण-

10 किलो 264 ग्राम अवैध गांजा

तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल वाहन संख्या UP 63 AM 6951

पुलिस टीम गिरफ्तार/बरामदगी -

उप-निरीक्षक रामआशीष सिंह मय पुलिस टीम थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

संकटग्रस्त महिलाओं हेतु आवासीय व्यवस्था

****